

पशु, पक्षी तथा मछलियों हेतु चारा/दाना की दुकानें तथा अण्डे, मुर्गी एवं माँस-मछली की दुकानें खुली रखिये तथा सामग्रियों का आवागमन जारी रहेगा



कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण को रोकने हेतु लगाये गये लॉक-डाउन में :-

1. पशु चारा की दुकानें एवं पक्षी तथा मछली चारा/दाना की दुकानें खुली रहेंगी।
 2. अण्डे, मुर्गी, माँस-मछली की दुकानें खुली रहेंगी तथा उपरोक्त सामग्रियों का आवागमन पूर्व की तरह चालू रहेगा।
- दुकान खोलने अथवा आवागमन संबंधी किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक को शिकायत की जा सकती है।
 - किसी भी आपात स्थिति हेतु सभी सरकारी एवं निजी पशु चिकित्सालय, वेटनरी पैथोलॉजिकल सेवा, पशुशाला आदि के कार्य पर भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

अतः सभी पशुपालक भाईयो से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आयें
एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पालन करें।